सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2019/00039

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : डा. गुजन सोनी, आर0ए0एस0
अपील प्रकरण सं0 27/2019

1. पवन कुमार पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी मनफुलसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. मथरादेवी पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी मनफुलसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. निर्मला पत्नी श्री कुलदीप कुमार जाति जाट निवासी बेगावाली तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)
2. विनय चौधरी पुत्र बृजमोहन जाति जाट निवासी बेगावाली तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)
3. कुलदीप पुत्र श्री बृजमोहन पुत्र श्री दौलतराम जाति जाट निवासी मनफुलसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 28.03.2019 तहसीलदार श्रीगंगानगर प्रकरण संख्या 63/2019 अनवानी निर्मला आदि बनाम हर आम व खास जिसके द्वारा अपीलांटन को बिना सुने सुनवायी का मौका दिये अनुपस्थिति दिखाकर रेसोडेन्ट के नाम वसीयत का इन्तकाल दर्ज करने का आदेश दिया बमुराद बनसुखीया।

उपस्थित :

1.श्री मनोहरलाल सहारण अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री राजेश गुम्बर अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

:: आदेश :: दिनांक :– 12.03.2020

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खिलाफ कानून, इंसाफ व पत्रावली पर दर्ज तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों की अवहेलनाकर अपीलांटान को बिना सुने व सुनवाई का मौका दिये अपीलांटन की अनुपस्थिति दिखाकर आदेश करने में कानूनी गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को देखने पर ईल्म हुआ कि किस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.03.2019 को अपने फर्दकाम में प्रार्थीगण की तरफ से समाचार पत्र का हवाला दिया। किस प्रार्थी ने समाचार पत्र प्रस्तुत किया है इस बारे में कोई हवाला नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जानबूझकर रेस्पोडेन्ट को फायदा पहुंचाने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत अप्रार्थीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही न कर अनुपस्थिति दिखाकर बिना बहस के प्रार्थीगण के पक्ष में वसीयत का इंतकाल का आदेश करने में कानूनी गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

संक्षेप मे अपील के तथ्य निम्न प्रकार से है :–

10/5/19

.....2...लगातार

Scanned with CamScanner

दस्तावेज प्रस्तुत हो चुके थे कि उक्त रकबा के सम्बन्ध में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है। चक 20 एलएनपी के रकबा पर स्वर्गीय बृजमोहन का अपने जीवनकाल में कभी कब्जा नहीं रहा। स्वर्गीय बृजमोहन ने अपने भाई स्वर्गीय साहबराम के हक व हिस्सा का रकबा जो पंजाब में था वहां प्राप्त कर लिया था व राजस्थान में चक 20 एलएनपी का रकबा अपने भाई साहबराम को घरू बंटवारा में दिया था जिस बाबत प्रकरण साहबराम बनाम बृजमोहन उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के यहां विचाराधीन है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह तथ्य दर्ज करना कि उक्त रकबा के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है जिससे साफ जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर इंतकाल का आदेश करने में कानूनी गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई वकील अथवा मौतबीर व्यक्ति हाजिर नहीं हुआ जो उनकी शिनाख्त करता कि उक्त व्यक्ति ही वसीयत में दर्ज रकबा के असली हकदार है जिससे साफ जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधान की पालना न कर आदेश करने में कानूनी गलती की है। कानूनन व इंसाफन वकील की गलती का दण्ड पक्षकारान को नहीं दिया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूननी प्रावधानों की अनदेखी कर अपीलांटन की अनुपस्थिति दिखाकर आदेश देने में कानूनी गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटान के वकील द्वारा दिनांक 11.03.2019 को वकालतनामा प्रस्तुत किया था जिस पर उनके द्वारा दिनांक 18.04.2019 की पेशी बताई गयी थी। अपीलांट की वकील द्वारा अपीलांटान को यह आश्वासन दिया गया था कि यह प्रकरण लम्बा चलेगा। चुनाव का वक्त है अफसर चुनाव कार्य में व्यस्त है। पटवारी हल्का से मुलाकात हुई तो पटवारी हल्का ने बताया कि चक 20 एलएनपी के रकबा पर आपके पास स्थगन आदेश है तो वह हमें दो क्योंकि तहसीलदार श्रीगंगानगर उक्त रकबा के वसीयत का इंतकाल करने के लिए आये हुए है तब अपीलांटान ने अपने वकील से सम्पर्क किया तो उन्होने बताया कि मुझे तारीख पेशी का ध्यान नही है अब कोर्ट की छुटियां है इसए मैं 8 तारीख को पेशी बता दूंगा। दिनांक 08.05.2019 को अपीलांट संख्या 1 तहसील श्रीगंगानगर में आया संबंधित लिपिक से उक्त प्रकरण की बाबत पता किया तो पता लगा कि दिनांक 28.03.2019 को इस प्रकरण का निस्तारण किया जा चुका है। लिहाजा अपील अपीलांट मंजूर फरमायी जकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28.03.2019 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांटन को सुनवाई का मौका दिया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपीन बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय के नैसंर्गिक सिद्वान्तों की अवहेलनाकर अपीलांटान को बिना सुने व सुनवाई का मौका दिये अपीलांटन की अनुपस्थिति दिखाकर आदेश करने में कानूनी गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को देखने पर ईल्म हुआ कि किस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.03.2019 को अपने फर्देकाम में प्रार्थीगण की तरफ से समाचार पत्र का हवाला दिया। किस प्रार्थी ने समाचार पत्र प्रस्तुत किया है इस बारे में कोई हवाला नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जानबूझकर रेस्पोडेन्ट को फायदा पहुंचाने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत अप्रार्थीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही न कर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

अनुपस्थिति दिखाकर बिना बहस के प्रार्थीगण के पक्ष में वसीयत का इंतकाल का आदेश करने में कानूनी गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह दस्तावेज प्रस्तुत हो चुके थे कि उक्त रकबा के सम्बन्ध में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है। चक 20 एलएनपी के रकबा पर स्वर्गीय बृजमोहन का अपने जीवनकाल में कभी कब्जा नहीं रहा। स्वर्गीय बृजमोहन ने अपने भाई स्वर्गीय साहबराम के हक व हिस्सा का रकबा जो पंजाब में था वहां प्राप्त कर लिया था व राजस्थान में चक 20 एलएनपी का रकबा अपने भाई साहबराम को घरू बंटवारा में दिया था जिस बाबत प्रकरण साहबराम बनाम बृजमोहन उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के यहां विचाराधीन है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह तथ्य दर्ज करना कि उक्त रकबा के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है जिससे साफ जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर इंतकाल का आदेश करने में कानूनी गलती की है। लिहाजा अपील अपीलांट मंजूर फरमायी जकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28.03.2019 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांटन को सुनवाई का मौका दिया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 63/2019 आदेश दिनांक 28.03.2019 द्वारा वसीयत का इन्तकाल दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है वह दोनो पक्षो की उपस्थिति में कन्टैस्टड इंतकाल का आदेश पारित किया है। दोनो पक्षों को सुनकर, अखबार में साया करवाकर पारित किया गया है। जिसके खिलाफ अपील सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार हासिल नहीं है। दोनो पक्षों को सुनकर जो वसीयत का इन्तकाल दर्ज करने का आदेश पारित किया जाता उसकी सुनने का क्षेत्राधिकार सम्भागीय आयुक्त महोदय को है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है एवं मियाद के सम्बन्ध में कोई समुचित कारण दर्ज नहीं किये है जबकि अपीलांट स्वयं जरिए अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित है। अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट कतई प्रभावित अथवा क्षुब्ध नहीं है एवं महज व्यथित पक्षकार ही अपील प्रस्तुत कर सकता है। अपीलाधी आदेश के खिलाफ अपील सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को हासिल नहीं होने के कारण, अपील मियाद बाहर होने के कारण एवं अपीलान्टान का कोई हित नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने इसके सन्दर्भ में निम्न नजीरे एवं निर्णय पेश किया है :–

1- मा0 राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा आर बी जे (4)1997 पेज 198 में अभिनिर्धारित किया है कि Rajasthan Land Revenue Act 1956 - Section 135[2] In Case of Disputed Mutation- Appeal will lie before the Commissioner.

2. इसी न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.10.2016 अनवानी तारोबाई बनाम स्टेट व ज्ञानसिंह

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरे उक्त प्रकरण चस्पा होती है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से पाया गया कि तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 63/2019 आदेश दिनांक 28.03.2019 द्वारा वसीयत का इन्तकाल दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है वह दोनो पक्षो की उपस्थिति में कन्टैस्टड इंतकाल का आदेश पारित किया है। दोनो पक्षों को सुनकर, अखबार में साया करवाकर पारित किया गया है एवं

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दोनों पक्ष उपस्थित हो गए हैं और एक पक्ष द्वारा आक्षेप कर देने से अपीलाधीन **इंतकाल विवादित हो गया है।** इस प्रकार अपीलाधीन इंतकाल के विवादित हो जाने के कारण अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार धारा 135(2) के अन्तर्गत इस न्यायालय को नहीं है।

मा0 राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा आर बी जे (4)1997 पेज 198 में अभिनिर्धारित किया है कि Rajasthan Land Revenue Act 1956 - Section 135[2] In Case of Disputed Mutation- Appeal will lie before the Commissioner.

शासन के परिपत्र सं0 एफ 6 (21) रेवेन्यू/ जीआर /4/ 87/ 29 जीएसआर/60 दिनांक 20–6–87 द्वारा डायरेक्टर लैण्ड रिकार्ड की शक्तियॉं माननीय संभागीय आयुक्त को है।

इस प्रकार, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश आक्षेप के संदर्भ में दोनों पक्षों को सुनकर पारित किया गया है जो धारा 135(2) राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम की परिधि में होने से हस्तगत अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार मा0 संभागीय आयुक्त, बीकानेर को है। अतः हस्तगत अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में न होने से क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 12.03.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. गंजन सोनी)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with CamScanner